पत्रांक–12/प0–विविध–09–02/2019–
(SHSB/AB-PMJAY/GA/01/2018)
स्वास्थ्य विभाग,
<u>बिहार सरकार</u>

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव। ,

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक –

विषय :– **मांग संख्या–20 अंतर्गत वर्ष 2018–19 में मुख्य व्यय शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–110–अन्य बीमा योजनायें–0205–आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (ए0बी0–एन0एच0पी0एम0) विपत्र कोड–20–2235–60–110–0205 (केन्द्रांश) शीर्षान्तर्गत 31–06(वस्तुगत शीर्ष–31–सहायता अनुदान एवं वस्तुगत शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन) से कुल राशि 2,23,65,000/– (दो करोड़ तेईस लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए गठित बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के पुराना सचिवालय के ब्लॉक–3 के द्वितीय तल पर आवंटित कार्यालय स्थल के उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना के प्रतिवेदन के अनुरुप एवं वित्त विभागीय संकल्प सं0–3758/वि0 दिनांक–31.05.2017 के कंडिका–04 (क) के आलोक में दिये गये प्रशासनिक स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में मांग सं0– 20 के विपत्र कोड 20–2235601100205 (केन्द्रांश) अन्तर्गत 31–06 (वस्तुगत शीर्ष–31–सहायता अनुदान एवं वस्तुगत शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन) में कुल राशि 2,23,65,000/–(दो करोड़ तेईस लाख पैसठ हजार रुपये) रुपये मात्र व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है।

02. चुँकि इस राशि का निर्धारण बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना के रिपोर्ट के आधार पर किया गया है अतः इस राशि के खर्च किये जाने की कार्रवाई में बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना का सहयोग अपेक्षित होगा।

03. उक्त राशि मांग संख्या–20 अंतर्गत वर्ष 2018–19 में मुख्य व्यय शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–110–अन्य बीमा योजनायें–0205–आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (ए0बी0एन0एच0पी0एम0) विपत्र कोड–20–2235–60–110–0205 (केन्द्रांश) शीर्षन्तर्गत 31–06 (वस्तुगत शीर्ष–31–सहायता अनुदान एवं वस्तुगत शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन) से विकलनीय होगा।

04. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 वि0(2) दिनांक– 17.04.1998, परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक– 05.04.2007, 2398 वि0(2) दिनांक– 08.04.08, 3388 वि0(2) दिनांक– 18.04.11, 4201 वि0(2) दिनांक– 12.04.12 तथा अद्यतन निर्गत परिपत्र में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

05. यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवाऐं एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा कराया जायेगा। बिहार चिकित्सा सेवाऐं एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना निविदा के शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट एवं नियमानुकूल प्रक्रिया से करेंगे।

amit..sec-12//

06. केन्द्रांश (60%) के रुप में Administrative Expenses मद में भारत सरकार के पत्रांक– NHA/Finance/2018-19/State Releases/12013/5 दिनांक– 11.10.2018 से `16.34 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जो बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा संधारित खाते में जमा है, राज्यांश (40% समानुपातिक) हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तत्काल योजना का कार्यान्वयन केन्द्रांश मद से किया जाएगा।

07. राज्यांश से संबंधित राशि के लिए स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

08. राज्यांश संबंधित आवंटनादेश निर्गत करने के पूर्व बजट शाखा द्वारा बजट में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

09. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 12/प0–विविध–09–02/2019– 111 (12) स्वा0/ दिनांक– 30/01/2019

(SHSB/AB-PMJAY/GA/01/2018)

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाऐं एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वासथ्य सेवायें, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/1/19

सरकार के विशेष सचिव।

amit..sec-12//